(लोक सभा द्वारा 27.12.2018 को पारित रूप में)

2018 का विधेयक संख्यांक 181-सी

[दि मुस्लिम वुमैन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018

विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

5 **1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2018 है । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह 19 सितंबर, 2018 को लागू हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "इलैक्ट्रोनिक रूप" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में उसका है ; 2000 का 21

(ख) "मजिस्ट्रेट" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उस क्षेत्र में, जहां विवाहित मुस्लिम महिला निवास करती है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है ; और 1974 का 2 5

(ग) "तलाक" से तलाक-ए-बिद्दत या तलाक का कोई अन्य समान रूप अभिप्रेत है, जिसका प्रभाव किसी मुस्लिम पति द्वारा उदघोषित तुरंत और अप्रतिसंहरणीय विवाह-विच्छेद है ।

अध्याय 2 10

तलाक की घोषणा का शून्य और अवैध होना

तलाक का शून्य और अवैध होना ।

3. मुस्लिम पति द्वारा उसकी पत्नी के लिए, शब्दों द्वारा, चाहे वे बोले गए हों या लिखित हो या इलैक्ट्रोनिक रूप में हों या किसी अन्य रीति में, चाहे कोई भी हो, तलाक की उदघोषणा शून्य और अवैध होगी ।

तलाक की उदघोषणा के लिए दंड ।

4. कोई मुस्लिम पति जो अपनी पत्नी को धारा 3 में निर्दिष्ट रीति में तलाक की उदघोषणा करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा । 15

अध्याय 3

विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा

निर्वाह भत्ता ।

5. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसी विवाहित मुस्लिम महिला, जिसके लिए तलाक की उदघोषणा की गई है, अपने पति से स्वयं उसके और आश्रित संतानों के लिए ऐसी रकम का निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होगी, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाए । 20

अवयस्क संतानों की अभिरक्षा ।

6. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विवाहित मुस्लिम महिला, उसके पति द्वारा तलाक की उदघोषणा किए जाने की दशा में, ऐसी रीति में, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाए, अपनी अवयस्क संतानों की अभिरक्षा के लिए हकदार होगी । 25

अपराधों का संज्ञेय, शमनीय आदि होना ।

7. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी,-- 1974 का 2

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध तब संज्ञेय होगा, यदि अपराध के किए जाने से संबंधित इत्तिला किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को उस विवाहित मुस्लिम महिला, जिस पर तलाक की उदघोषणा की गई है या उससे रक्त या विवाह द्वारा नातेदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाती है ; 30

(ख) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस विवाहित मुस्लिम महिला की पहल पर, जिस पर तलाक की उदघोषणा की गई है, मजिस्ट्रेट की

अनुज्ञा से ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो मजिस्ट्रेट अवधारित करे, शमनीय होगा ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर तब तक छोड़ा नहीं जाएगा जब तक अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर और उस विवाहित मुस्लिम महिला, जिस पर तलाक की उदघोषणा की गई है, की सुनवाई करने के पश्चात् मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत प्रदान करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं ।

2018 का अध्यादेश सं. 7

निरसन और व्यावृत्ति ।

8. (1) मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 का निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

MGIPMRND—2877LS (CRC)—27-12-2018.